भारतीय रिज़र्व बैंक
RESERVE BANK OF INDIA
www.rbi.org.in

डीबीआर. एएमएल. सं. 10082/ 14.02.011/ 2016-17 3 मार्च 2017

संयुक्त सचिव
ग्रामीण विकास विभाग
ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार
कृषि भवन, नई दिल्ली- 110001

महोदय,

पीएमजेडीवाई खातों में लेनदेन सीमाओं में छूट

कृपया उक्त विषय पर 22 फ़रवरी 2017 के अपने पत्र D.O. No. J- 11011/ 01/ 2016- RH का संदर्भ लें।

2. इस संदर्भ में आपका ध्यान आपके 2 जनवरी 2017 के पत्र के उत्तर में भेजे गए भारतीय रिज़र्व बैंक के 13 जनवरी 2017 के पत्र डीबीआर. एएमएल. सं. 8141/ 14.02.011/ 2016-17 की ओर आकर्षित किया जाता है, जिसकी प्रति आपकी जानकारी के लिए संलग्न है।

3. इसके अतिरिक्त कृपया यह भी सूचित किया जाता है की भारतीय रिज़र्व बैंक ने छोटे खाते (Small Accounts) में लेन-देन की सीमाओं में संशोधन (revision) करने हेतु राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय को एक प्रस्ताव प्रेषित किया था। हालांकि राजस्व विभाग ने अपने 9 जनवरी 2017 के पत्र (प्रति संलग्न) ऐसा कोई संशोधन मंजूर नहीं किया है। अतः छोटे खाते एवं PMJDY- छोटे खाते निर्धारित सीमाओं के आधीन ही रहेंगे।

4. हालांकि ग्राहकों के पास अपने छोटे खातों को सामान्य बचत खातों मे परिवर्तित करने का विकल्प है, जिसकी प्रक्रिया हमारे 13 जनवरी 2017 के संलग्न पत्र में दी गयी थी।

भवदीय

थॉमस मैथ्यू

(थॉमस मैथ्यू)
महाप्रबंधक
संलग्न: यथोक्त

"Caution: RBI never sends mails, SMSs or makes calls asking for personal information like bank account details, passwords, etc. It never keeps or offers funds to anyone. Please do not respond in any manner to such offers."

0/c

भारतीय रिज़र्व बैंक
RESERVE BANK OF INDIA
www.rbi.org.in

डीबीआर. एएमएल. सं. 8141/ 14.02.011/ 2016-17 13 जनवरी 2017

सचिव
ग्रामीण विकास विभाग
ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार
कृषि भवन, नई दिल्ली- 110001

महोदय,

पीएमजेडीवाई खातों में लेनदेन सीमाओं में छूट

कृपया उपर्युक्त विषय पर दिनांक 2 जनवरी 2017 का अपना पत्र डीओ जे- 11011/ 01/ 2016-आरएच देखें।

2. संदर्भाधीन पत्र का वह वक्तव्य देखें जिसके अनुसार कुछ राज्य सरकारों ने यह रिपोर्ट किया है कि प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) - (पीएमएवाई-जी) के लाभार्थियों के पीएमजेडीवाई खातों पर लगाई गई सीमाओं के कारण, सरकार द्वारा प्रदत्त सहायता को जमा करने से बैंक मना कर रहे हैं।

3. इस संबंध में, यह बताया जाता है कि भारतीय रिज़र्व बैंक ने पीएमजेडीवाई खाते खोलने अथवा पीएमजेडीवाई खातों में कोई लेनदेन सीमाएं लगाने के संबंध में कोई अनुदेश जारी नहीं किए हैं। तथापि, यह बताया जाता है कि पीएमजेडीवाई योजना भारत सरकार द्वारा अधिसूचित की गई है और धन शोधन निवारण (अभिलेखों का रखरखाव) नियमावली 2005 में किए गए प्रावधान के अनुसार आधिकारिक रूप से वैध दस्तावेज़ (ओवीडी) प्रस्तुत करने के आधार पर उक्त खाता खोला जा सकता है। अतः ऐसे खातों में लेनदेन पर कोई प्रतिबंध/ सीमा तय नहीं की गई है।

4. संदर्भाधीन पत्र में बताई गई सीमाओं से यह प्रतीत होता है कि संबंधित खाते "छोटे खातों" के रूप में खोले गए थे, जो कुछ सीमाओं के अधीन हैं, क्योंकि उक्त खाते पहचान और पते के प्रमाण के रूप में किसी आधिकारिक रूप से वैध दस्तावेज़ (ओवीडी) के बिना खोले जाते हैं। चूंकि उक्त खाते केवाईसी अनुपालित खाते नहीं हैं, अतः जोखिम को कम करने के लिए लेनेदेनों पर सीमाएं लगाई गई हैं। ये सीमाएं निम्नानुसार हैं:

(क) एक वित्त वर्ष के दौरान समग्र जमाराशि (क्रेडिट) एक लाख रुपये से अधिक नहीं हो;
(ख) किसी एक महीने में सभी आहरणों और अंतरणों की राशि कुल मिलाकर दस हजार रुपये से अधिक नहीं हो तथा

"Caution: RBI never sends mails, SMSs or makes calls asking for personal information like bank account details, passwords, etc. It never keeps or offers funds to anyone. Please do not respond in any manner to such offers."

(ग) किसी भी समय खाते में जमाशेष पचास हजार रुपये से अधिक नहीं हो।

5. छोटे खातों पर सीमाएं पीएमएल नियमावली के अंतर्गत निधारित हैं। इनमें किसी भी प्रकार के परिवर्तन राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय द्वारा ही प्रभावी किए जा सकते हैं। इसके मद्देनज़र आप यह मुद्दा उनके साथ उठाने पर विचार करें।

6. यह भी बताया जाता है कि इस प्रकार के 'छोटे खातों' का परिचालन शुरू में केवल बारह महीने की अवधि के लिए होता है और उक्त खाते को सामान्य बचत बैंक खाते में परिवर्तित करने और उसका परिचालन जारी रखने के लिए, ग्राहक को पहचान और पते के प्रमाण के रूप में आधिकारिक रूप से वैध 6 दस्तावेज़ों में से कोई एक दस्तावेज देना होता है। पीएमएल नियमावली में निर्धारित किए गए अनुसार उक्त 6 आधिकारिक रूप से वैध दस्तावेज़ (ओवीडी) निम्नलिखित हैं:

क) पासपोर्ट,
ख) ड्राईविंग लाइसेंस,
ग) पैन कार्ड,
घ) भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा जारी मतदाता पहचान कार्ड,
ङ) नरेगा द्वारा जारी जॉब कार्ड जो राज्य सरकार के अधिकारी द्वारा विधिवत् हस्ताक्षरित हो,
च) भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण द्वारा जारी पत्र जिसमें नाम, पता और आधार संख्या के ब्योरे हो।

7. चूंकि ग्रामीण विकास मंत्रालय (एमओआरडी) ने कहा है कि पीएमएवाई-जी के लाभार्थियों को एमजीनरेगा के अंतर्गत वेतन प्राप्त होंगे, यह समझा जाता है कि ऐसे लाभार्थियों के पास *राज्य सरकार के अधिकारी द्वारा विधिवत् हस्ताक्षरित नरेगा द्वारा जारी जॉब कार्ड होगा,* जो छह आधिकारिक रूप से वैध दस्तावेज़ों (ओवीडी) में भी एक है, जैसा कि ऊपर बताया गया है। इसलिए, भले ही ऐसे लाभार्थियों के पास आधार सहित कोई अन्य आधिकारिक रूप से वैध दस्तावेज़ (ओवीडी) न हो, वे राज्य सरकार के किसी अधिकारी द्वारा विधिवत् हस्ताक्षरित नरेगा द्वारा जारी जॉब कार्ड प्रस्तुत कर सकेंगे और अपने छोटे खातों को ऐसे सामान्य बचत बैंक खातों में बदल सकेंगे, जिन पर लेनदेन की ऐसी कोई सीमा लागू नहीं है, और पीएमएवाई-जी के अंतर्गत मिलने वाले लाभ प्राप्त कर सकेंगे।

भवदीय

(थॉमस मैथ्यू)
महाप्रबंधक

भारतीय रिज़र्व बैंक
RESERVE BANK OF INDIA
www.rbi.org.in

DBR. AML. No. 8141/ 14.02.011/ 2016-17 January 13, 2017

The Secretary
Department of Rural Development
Ministry of Rural Development, Government of India
Krishi Bhawan, New Delhi- 110001

Dear Sir,

Relaxing the Transaction Limits in PMJDY Accounts

Please refer to your letter DO # J- 11011/ 01/ 2016- RH dated January 2, 2017 on the subject.

2. A reference is drawn to the statement, in the letter under reference, that some of the State Governments have reported that the due to the limits imposed on the PMJDY accounts of the beneficiaries of Pradhan Mantri Awaas Yojana (Gramin)- (PMAY-G), the credits of the assistance provided by the Government are being rejected by the banks.

3. In this regard, it may be mentioned that Reserve Bank of India has not issued any instruction pertaining to opening of PMJDY accounts or imposition of any transactions limits on PMJDY accounts. It may, however, be mentioned that the PMJDY scheme has been notified by the Government of India and is opened on the basis of submission of an Officially Valid Document (OVD), as provided in the Prevention of Money Laundering (Maintenance of Records) Rules, 2005. As such these accounts are not subject to any restriction/ limitation in transactions.

4. From the limits mentioned in the letter under reference, it appears that the concerned accounts were opened as 'Small Accounts', which are subject to certain limitations, as they are opened without any Officially Valid Documents for proof of identity and proof of address. Since these accounts are not KYC compliant accounts, restrictions have been imposed on transactions as risk mitigants. These limits are:

a. the aggregate of all credits in a financial year does not exceed rupees one lakh;

b. the aggregate of all withdrawals and transfers in a month does not exceed rupees ten thousand; and

c. the balance at any point of time does not exceed rupees fifty thousand.

5. The limits on Small Accounts have been prescribed under the PML Rules. Any changes in these can only be effected by Department of Revenue, Ministry of Finance. In view of this, you may consider taking up the matter with them.

6. It may also be added that such 'Small Accounts' are operational initially only for twelve months and the customer has to provide any one of the six Officially Valid Documents (OVDs) as proof of identity and proof of address to convert the account in the normal savings bank account and continue operating the same. These six OVDs, as prescribed in the PML Rules, are:

a. the passport,
b. the driving licence,
c. the Permanent Account Number (PAN) Card,
d. the Voter's Identity Card issued by the Election Commission of India,
e. job card issued by NREGA duly signed by an officer of the State Government,
f. letter issued by the Unique Identification Authority of India containing details of name, address and Aadhaar number.

7. Since the MoRD has mentioned that the beneficiaries of the PMAY-G would be getting wages under MGNREGA, it is understood that such beneficiaries would be having *job card issued by NREGA duly signed by an officer of the State Government*, which is also one of the six OVDs, as mentioned above. Hence, even if such beneficiaries do not possess any of the other OVDs, including Aadhaar, they could submit job card issued by NREGA duly signed by an officer of the State Government and convert their small accounts into normal savings bank accounts, which are not subject any such transactional thresholds, and avail the benefits under PMAY-G.

Yours faithfully

13/1/17

(Thomas Mathew)
General Manager

O/c 13/1/17

6

F.No.P-12011/11/2016-ES Cell-DOR
Government of India
Ministry of Finance
Department of Revenue

Room No.55, North Block
New Delhi, the 09th January, 2017

OFFICE MEMORANDUM

Subject: Threshold Limits applicable to Small Accounts.

The undersigned is directed to refer to Reserve Bank of India's letter DBR.AML/No.3706/14.02.011/2016-17 dated 26.09.2016, on the above noted subject.

2. The proposal of Reserve Bank of India has been considered and following has been decided:-

(i) At this stage the threshold limit applicable to "Small Accounts" with reference to Section 2(1)(fb) of the Prevention of Money Laundering (Maintenance of Records) Rules should not be revised.

(ii) The "Jan Dhan" Accounts, if they cross deposit ceiling of Rs.50,000, the KYC norms apply as per the extant Rules. In all such cases, PAN verification (seeding) should be made compulsory.

3. RBI is requested to take further necessary action accordingly.

4. This issues with the approval of Hon'ble Finance Minister.

09/01/2017

(Dalip Singh)
Section Officer (ES Cell)
Tel. No. 2309-5388

Reserve Bank of India
{Shri Thomas Matehew, General Manager}
Department of Banking Regulation
Central Office, Central Office Building, 13th Floor,
Sahid Bhagat Singh Marg, Fort, Mumbai-400001.

भारतीय रिज़र्व बैंक, मुंबई
Reserve Bank of India, Mumbai
बै. वि. वि., कें. का., मुंबई / D.B.R., C.O.
30 JAN 2017
आवक सं./Inward No. 4940
निपटाया गया/Marked Off
सहा./Asst.
फाईल करें/File
स.प्र./A.M.